an>

Title: Need to ban vulgar commercial advertisements in print and electronic media in the country.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, आपने नियम 377 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, देश के कोने-कोने में इन दिनों अधिकतर विज्ञापन अर्द्धनग्न एवं कामोत्तेजक अवस्था में दिखा कर अपने-अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित किया जाता है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया। इससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। परिवार के छोटे-बड़े सदस्य एक साथ मिल कर टीवी देखने में उस समय संकोच करते हैं, जब बीच-बीच में उस तरह का अर्द्धनग्न, भद्दा विज्ञापन दिखाया जाता है। किसी नारी को अर्द्धनग्न अवस्था में दिखाना नारी समाज के लिए अपमानजनक बात है। साथ ही 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' जैसी वैदिक मान्यताओं को भी कलंकित करता है।

महोदय, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए, जिससे उत्पादों का प्रचार-प्रसार भी हो तथा परिवार और समाज पर इसका अच्छा असर पड़े, इससे उत्पादों के प्रति भी निश्चित रूप से विश्वास और भरोसा होगा। अतएव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऐसे अर्द्धनग्न विज्ञापनों पर अविलम्ब रोक लगाए, जिससे समाज के हर किसी के मन-मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े। 'देवघर काँवरिया मेला', जिसमें देश-विदेश के लाखों तीर्थयात्री आते हैं, साथ ही धार्मिक मेले आदि अन्य आयोजनों में भी सड़क, चौक-चौराहों पर इस प्रकार के अश्लील विज्ञापन लगाये जाते हैं, जिस पर अविलम्ब पाबन्दी लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।